राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
(मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली- 110012

एन एस सी
NSC

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJBHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES :25842383,25846272,25842692,
25846295
e-mail - nsc@indiaseeds.com

फाईल संख्या: 9(1)/23-मा.स./एनएससी/कल्याण

दिनांक- 27 अप्रेल,2023

विषय: सीजीएचएस कार्ड धारकों के लिए ओपीडी के तहत चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के संबंध में ।

जैसा कि आप जानते हैं कि निगम के सभी कर्मचारियों को ओपीडी हेतु चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति एनएससी चिकित्सा नियमावली के अनुसार संसाधित/पारित की जा रही है। कॉर्पोरेट कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के पास चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के लिए एनएससी चिकित्सा नियमावली के अनुसार या सीजीएचएस कार्ड के लिए ओपीडी के तहत चयन करने का विकल्प है। मौजूदा प्रणाली के अनुसार सीजीएचएस कार्ड धारकों को ओपीडी उपचार के तहत परामर्श शुल्क और जांच/पैथोलॉजिकल परीक्षण (यदि सीजीएचएस डिस्पेंसरी द्वारा संदर्भित किया गया है) की प्रतिपूर्ति बिना किसी सीमा के तहत की जा रही है। हालांकि, एनएससी चिकित्सा नियमवली के तहत कॉर्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों के लिए ओपीडी (विशेष बीमारी को छोड़कर) के चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति हेतु वार्षिक सीमा तय है।

कारपोरेट कार्यालय में ओपीडी उपचार के तहत चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति में असमानता को दूर करने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

(ए) सीजीएचएस कार्ड का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों से हर साल अप्रैल महीने से शुरू होने वाले वेतन से सीजीएचएस कार्ड जारी करने /नवीनीकरण हेतु 15,368/- रुपये (वर्तमान में) अर्थात 1500/- प्रति माह की दर से 09 किस्तों में और 1868/- रुपये की अंतिम किश्त के रूप में वसूल किए जाएंगे।

(बी) एनएससी चिकित्सा नियमावली के तहत अब सीजीएचएस कार्ड धारकों के लिए परामर्श शुल्क, जांच/पैथोलॉजिकल परीक्षण आदि की प्रतिपूर्ति के लिए एक महीने के मूल वेतन या 30,000/- जो भी कम हो, लागू होगा, (यदि सीजीएचएस डिस्पेंसरी द्वारा संदर्भित किया जाता है) ।

.......2/--

कॉर्पोरेट कार्यालय के शेष कर्मचारियों को ओपीडी उपचार के लिए चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति एनएससी चिकित्सा नियमावली के अनुसार बिना किसी बदलाव के जारी रहेगी।

उपरोक्त परिवर्तन 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

धर्मेंद्र कुमार 28/04/23

(धर्मेंद्र कुमार)

सहायक। महाप्रबंधक (मा.स./कल्याण)

वितरण:

1. समस्त विभागाध्यक्ष, कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली
2. सहायक महाप्रबंधक (सतर्कता)/सीवीओ, कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली
3. सीएमडी के निजी सचिव, कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली
4. निदेशक (वित्त)/निदेशक (वाणिज्य) के निजी सचिव, कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली
5. आईटी सेल को एनएससी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. नोटिस बोर्ड।